Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra

A State University of Uttar Pradesh (Formerly: Agra University, Agra)

www.dbrau.ac.in

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,

आगरा

Statutory / Regulation

&

Discipline Guidelines

For

University Campus Students

Ordinance/अध्यादेश

अनुशासन नियम और विनियम (सामान्य निर्देश)

1. विश्वविद्यालय प्रॉक्टोरियल बोर्ड (यूीपबी) जो विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण है, का गठन यह सुनिक्षित करने के लिए किया गया है विश्वविद्यालय परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अनुशासन बनाए रखा जाए।

2. छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र/छात्रा विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता/करती है तो विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। छात्रों से अपेक्षा है कि वे विश्वविद्यालयों के नियमों और विनियमों का पालन करें और एक छात्र के रुप में अपनी जिम्मेदारियों को परिश्रम, निष्ठा और सम्मान के साथ निभाएं तांकि परिसर में सदभाव बना रहे।

3. छात्रों द्वारा सामान्यतया अनुकर्णीय अपेक्षित नियम और विनियम जिन्हे यूपीवी के विवेकाधीन समय की आवश्यकता के अनुरुप संशोधित (नये नियम और विनियम निर्मित करना अथवा पुराने नियम और विनियम समाप्त करना) किये जा सकते हैं।

छात्रो द्वारा सामान्यतया अनुकर्णीय अपेक्षित नियम और विनियम निम्नानुसार हैं–

3.1– परिसर के अंदर और परिसर के बाहर किसी कार्यक्रम में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर पहचान पत्र पहने

3.2– विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नोटिस/परिपत्र पढ़ना अनिवार्य है। परन्तु प्रदर्शित किसी नोटिस, पारेपत्र को न पढ़ने की अज्ञानता को उसमे निहित निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के बहाने के रुप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3.3– छात्रावास/परिसर में वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना आगंतुको का प्रवेश/अनाधिकृत अतिथि या अन्य व्यक्ति को छात्रावास में ठहराना वर्जित है।

3.4– छात्रावास और विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के पाटाखे रखना प्रतिबन्धित है।

3.5– छात्रावास या विश्वविद्यालय परिसर में या किसी अन्य अवसर के दौरान त्योहारों ओर समारोहों की आड़ में रंगीन पाउडर और रंग डालना निषेध है।

3.6– विश्वविद्यालय और छात्रावास के डेस्क या वाइट बोर्ड या लिफट के अन्दर, दीवारों, खिड़कियों, पेड़ों और शौचालयों आदि पर छात्र/छात्राओं द्वारा पोस्टर लगाना/लिखना प्रतिबन्धित है।

3.7– विश्वविद्यालय की सम्पत्ति का सम्मान करना अनिवार्य है।

सम्पत्ति को नष्ट करना या नुकसान पहुँचाना दण्डनीय है। इस तरह से हुयी किसी भी क्षति की लागत, दण्ड के साथ छात्रों से वसूल की जायेगी।

3.8– किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी पेड़, पोधों को काटना और उससे जुडे किसी भी पहचान चिन्ह या टैग को हटाना अवैधानिक व प्रतिबन्धित है।

3.9– निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी की अनुमति के बिना :

3.9.1– परिसर में किसी भी प्रकार की बैठक आयोजित करना था।

3.9.2– किसी प्रकार की निधि एकत्र करना ।

3.9.3– वाइट बोर्ड/नोटिस बोर्ड पर किसी भी प्रकार की सूचना प्रसारित/प्रदर्शित करना।

3.9.4– इसके अतिरिक्त कोई भी सूचना या रिपार्ट प्रैस या प्रसारण ऐजेन्सीयों और प्लेसमेंट कम्पनियों को भेजना प्रतिबन्धित है।

3.10– वाहन को आंवटित स्थान पर पार्क करना अनिवार्य है।

3.10.1– यह भी प्रतिबन्धित किया जाता है कि विश्वविद्यलय के शैक्षिक परिसर में किसी भी वाहन को प्रवेश नही करने दिया जायेगा। दुपहिया वाहन से आने वाले छात्रों को हेलमेंट पहनना अनिवार्य है। अनाधिकृत स्थान पर पार्क किये गये वाहनों को जब्त किया जायेगा। जब्त किये जोने के बाद उ.प्र. परिवाहन के नियमों अन्तर्गत अर्थदण्ड़ निर्धारित किया जायेगा।

3.11– विश्वविद्यालय/विभाग के समारोहों में भाग लेते समय, स्वयं की एवं विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा/गरिमा का ध्यान रखना आवश्यक है।

3.12– चिल्लाना या प्रदर्शन करना जो कक्षाओं को बाधित कर सकता है, प्रतिबन्धित है।

3.13– लॉन मे वाहन चलाना, चारदीवारी को पार करना, बाड लगाना, बगीचों, फूलों आदि को नुकसान पहुंचाना परिसर के परिघ्श्य को खराब करना निषेधित एवं दण्डनीय है।

3.14– माननीय कुलपति, कुलसचिव, निदेशक, विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रॉक्टोरियल बोर्ड और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के किसी भी प्रकार के सम्मन को अस्वीकार या अनदेखा करना।

3.15– संस्थान के किसी संकाय सदस्य या कर्मचारी द्वारा पुछे जाने पर स्वयं की पहचान का खुलासा करना अनिवार्य है।

3.16– शैक्षिक दोरे या भ्रमण के दौरान उचित सामाजिक व्यवहार करना अपेक्षित है तथा इन विनियमों का पालन करना अनिवार्य है।

3.17– विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित सुरक्षा और नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य है।

3.18– विश्वविद्यालय की किसी अन्य/नीतियों द्वारा स्थापित मानदंडों का उल्लंघन करने वाला कोई अन्य कृत्य/कार्य करना प्रतिबन्धित है।

4. विश्वविद्यालय/विभाग/प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रियाः

4.1– उपरोक्त नियम 3 में वर्णित, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पाये जाने पर संबंधित विभाग की अनुशासन समिति द्वारा जांच–पड़ताल की जायेगी।

4.2– अनुशासन समिति की विस्तृत जांच रिर्पोट कार्यवाही हेतु सुझावों और अनुसंशा के साथ कुलानुशासक मण्डल को प्रस्तुत की जायंगी ।

4.3– नियम 3 में वर्णित नियमों /विनियमों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर पहली बार चेतावनी पत्र दिया जायेगा।

4.4– दूसरी बार उल्लंघन का दोषी पाये जाने कि स्थिति में 15 दिन का निलम्बन एवं अन्तिम चैतावनी पत्र निर्गत किया जायेगा।

4.5– तीसरी बार पुनः संलिप्तता पाये जाने पर सक्षम अधिकारियों (कुलपति जी/या कुलपति जी द्वारा अधिकृत) कि अनुमति से निष्कासन किया जायेगा।4.6– यह भी प्रतिबन्धित किया जाता है कि निष्कासन के उपरान्त परिसर में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, शुल्क वापसी का कोई प्रावधान नही होगा एवं विश्वविद्यालय कि समस्त सुविधाओं से निषेद किया जायेगा।

4.7– विश्वविद्यालय स्टेशनरी, लेटर पैड या किसी अधिकारी के नाम, मोहर या मोहर का दुरुपयोग करना।

4.8– विश्वविद्यालय के संसाधनों और सुविधाओं जैसे पुस्तकालय, सोफटवेयर, कम्प्यूटर ओर इंटरनेट का दुरुपयोग करना या विश्वविद्यालय के इन्टरनेट और कम्प्यूटर सुरक्षा प्रणाली को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाना।

4.9– सोशल और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से संस्थान या व्यक्ति (साथी छात्रों और संस्थान के कर्मचारियों) की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना।

5. विश्वविद्यालय / विभाग / प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया :

5.1– नियम 5 के उल्लघन के अनुसार, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पाये जाने पर सम्बन्धित विभाग की अनुशासन समिति द्वारा जाँच पड़ताल की जायेगी।

5.2– अनुशासन समिती को विस्तृत जाँच रिपोर्ट कार्यवाही हेतु सुझावों और अनुशन्सा के साथ कुलानुशासक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।

5.3– विश्वविद्यालय परिसर में नियम 5 के उल्लघन के अनुसार में किसी भी घटना में सम्मलित होने या नाम आने पर तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित छात्र / छात्रा को निलंबन किया जायेगा।

5.4– जाँच के उपरान्त दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित छात्र / छात्रा का सक्षम अधिकारियों (कुलपति जी / कुलपति जी द्वारा अधीकृत) की अनुमति प्रवेश निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

5.5– निष्कासन के उपरान्त परिसर में किसी भी पाठ्यक्रम में निषेध, शुल्क वापसी का कोई प्रावधान नहीं एवं विश्वविद्यालय की समस्त सुविधाओं से निषेध किया जायेगा।

Registrar
Dr. B.R.A. University, Agra

Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra

A State University of Uttar Pradesh (Formerly: Agra University, Agra)

www.dbrau.ac.in

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनांक 3 / 04 / 2022

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा आदेशानुसार सेठ पदम चन्द जैन के बी.बी.ए. द्वितीय वर्ष के निम्नलिखित विद्यार्थियों पर विश्वविद्यालय परिसर में अनाधिकृत रुप से बाइक ले जाने, तीन सवारी बैठाकर बाइक चलाने तथा एक छात्रा के पैर पर बाइक लड़ाने के प्रकरण में निम्नलिखित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है–

क्र0सं0	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	अनुशासनात्मक कार्यवाही
1	अभिषेक कुमार	**BBA- 2nd Year**	अन्तिम चेतावनी दी गयी है एवं भविष्य मे दुबारा यह गलती न करने की **Undertaking**
2	आदित्य बंसल	**BBA- 2nd Year**	
3	अग्रिम अग्रवाल	**BBA- 2nd Year**	
4	अनंक जैन	**BBA- 2nd Year**	

कुलसचिव

Registrar
Dr. B.R.A. University, Agra

प्रतिलिपिः–
1. निजी सचिव, कुलपति जी। मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. चीफ प्राक्टर।
3. सुरक्षा अधिकारी।
4. संबंधित विद्यार्थी।

कुलसचिव

Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra

A State University of Uttar Pradesh (Formerly: Agra University, Agra)

www.dbrau.ac.in

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनांक 05/01/2022

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा आदेशानुसार अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कैन्टीन मे अभ्द्रता एवं मार पीट में सम्बन्धित छात्र पर अनुशासनात्मक की जा रही है–

क्र0सं0	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	अनुशासनात्मक कार्यवाही
1	अनुज	BCA- 3rd Year	छात्रों को पाठ्यक्रम से अग्रिम आदेशो तक निलम्बित किया जाता है।
2	कृष्ण प्रताप	BCA- 3rd Year	

Registrar
Dr. B.R.A. University, Agra

प्रतिलिपिः–
1. चीफ प्राक्टर।
2. निजी सचिव, कुलपति जी। मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. सुरक्षा अधिकारी।
4. संबंधित विद्यार्थी।

कुलसचिव

Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra

A State University of Uttar Pradesh (Formerly: Agra University, Agra)

www.dbrau.ac.in

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनांक 01/03/2022

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा आदेशानुसार अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय पालीवाल परिसर स्थित लाईब्रेरी मे अभ्द्रता एवं फर्नीचर का नुकसान किया गया है जिसमें वीडियो फुटेज के संदर्भ में गठित जांच समिति की संस्तुतियों के मा0 कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त निम्नविवरणानुसार घटना में संलिप्त विद्यार्थियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	अनुशासनात्मक कार्यवाही
1	अरुण पाठक	**BCA- 3rd Year**	छात्रों को पाठ्यक्रम से अग्रिम आदेशो तक निलम्बित किया जाता है एवं रु0 3000/– आर्थिक दण्ड प्रति संबंधित छात्र।
2	अनमोल उपाध्याय	**BCA- 3rd Year**	
3	अंकुर शर्मा	**BBA- 3rd Year**	
4	गणेश कुमार शुक्ला	**BTech Civil Engg 2nd Year**	

कुलसचिव

Registrar
Dr. B.R.A. University, Agra

प्रतिलिपिः–
1. संबंधित विद्यार्थी।
2. सुरक्षा अधिकारी।
3. निजी सचिव, कुलपति जी। मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. चीफ प्राक्टर।

कुलसचिव

Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra

A State University of Uttar Pradesh (Formerly: Agra University, Agra)

www.dbrau.ac.in

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

उपरोक्त विद्यार्थियों ने अभी तक अर्थदण्ड विश्वविद्यालय के मुख्य खाते मे नही कराया हे। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों द्वारा आपको अवगत भी करायाा जा चुका है।

कृपया उपरोक्त छात्रों से 07 दिवसों के भीतर अर्थदण्ड जमा कराना सुनिश्चित कर विवरण अघोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।

Registrar
Dr. B.R.A. University, Agra
कुलसचिव

प्रतिलिपिः—

1. निजी सचिव, कुलपति जी। मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, वित अधिकारी।
3. प्रभारी, स्टूडेन्ट सपोर्ट सेल, को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित विद्यार्थियों द्वारा अर्थदण्ड जमा की रसीद दिखाने पर ही उनके विभिन्न प्रमाण पत्र निर्गत किये जायें।
4. चीफ प्राक्टर।
5. सुरक्षा अधिकारी।
6. संबंधित विद्यार्थी।

कुलसचिव